पात्रता	6.2	दुकान का नुकसान
	6.2.1	संरचना के लिए निर्धारित दर पर बिना मूल्यहा्स के मुआवजा साथ में प्रभावित संरचना को गिराने के लिए एक माह का नोटिस।
	6.2.2	प्रभावित सामग्री/अधिशेष सामान का अधिकार।
	6.2.3	प्रभावित दुकान के पुनर्निमाण हेतु एक बारीय रू. 20,000 का पुनर्वास अनुदान।
	6.2.4	एक बारीय निर्वाह भत्ता 18,000 रुपये।
	6.2.5	स्थान का बदलाव सहायता रुपये 10,000/–
		केवल वे सीधे प्रभावित अनाधिकृतवासी जो वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं सभी प्रकार की सहायता के पात्र होंगे। संरचना के मालिक जो सरकारी जमीन/राइट आफ वे में व्यवसाय नहीं कर रहे हैं एवं किराए पर दे रखा है। उन्हें केवल ढ़ांचे का मुआवजा मिलेगा एवं अन्य किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। अनाधिकृतवासी अन्य प्रकार के सहायता के पात्र होंगे।
	6.3	गुमटी / गली विक्रेता
	6.3.1	निकटस्थ स्थान पर आर्थिक गतिविधि करते हुए पुनः स्थापन हेतु एक माह का अग्रिम नोटिस।
	6.3.2	निर्माण अवधि के दौरान अल्पकालीन जीविका नुकसान हेतु रुपये 3,000 का मासिक निर्वाह भत्ता, जिसकी अवधि 3 माह से अधिक न हो।
	6.3.3	अगर निटस्थ स्थान पर पुनःस्थापन एवं आर्थिक गतिविधि जारी रखना संभव नहीं हो तो 18,000 रुपये की एक मुश्त पुनर्वास अनुदान।
क्रियान्वयन दिशा निर्देश		पीआईयू और एनजीओ इस तरह के प्रभावित व्यक्ति से परामर्श कर निर्वाह भत्ता एवं पुनर्वास सहायता की आवश्यकता का आंकलन करेगें।
पात्रता	6.4	खेती
	6.4.1	फसल काटने के लिए 2 महीने का नोटिस अथवा खड़ी फसलों का बाजार दर पर मुआवजा।
प्रभाव की श्रेणी	7	अतिक्रमियों पर प्रभाव
पात्रता	7.1	खेती
	7.1.1	खड़ी फसल काट लेने के लिए 2 माह का नोटिस अथवा बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति अगर नोटिस नहीं दिया गया है।
क्रियान्वयन दिशा निर्देश		खड़ी फसल के नुकसान का बाजार मूल्य पीआईयू, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कृषि अथवा बागबानी विभाग के साथ विचार विमर्श कर तय किया जायेगा।
पात्रता	7.2	ढांचा
	7.2.1	अवैध कब्जा हटाने हेतु 1 माह का नोटिस।
	7.2.2	ढांचे के प्रभावित भाग का मुआवजा निर्धारित दर पर बिना मूल्यह्रास के।
क्रियान्वयन दिशा निर्देश		व्यावसायिक ढाँचे एवं अन्य अचल संपत्ति का मूल्य निर्धारण सा.नि.वि. सामयिक दर सूची के अनुसार बिना मूल्यह्रास के करेगा।

भाग IV– कमजोर वर्ग के परिवारों पर प्रभाव

प्रभाव की श्रेणी	8	कमजोर वर्ग के परिवार
पात्रता	8.1	विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित करने के लिए 25,000 रू. की एक मुश्त सहायता
क्रियान्वयन दिशा निर्देश		प्रभावित घर के एक व्यस्क सदस्य जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है, कौशल विकास का पात्र होगा।
		पीआईयू गैर सरकारी संगठन की सहायता से संयुक्त सत्यापन और आरएपी की अद्यतनीकरण के दौरान कमजोर विस्थापितों के पात्रता की संख्या की पहचान करेगा और प्रभावित व्यक्तियों के परामर्श से प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आंकलन जिससे उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जा सके जो प्रभावित व्यक्ति के कौशल और क्षेत्र के अनुरूप हो। पीआईयू और एनजीओ स्थानीय संस्थानों के परामर्श से उपयुक्त प्रशिक्षक या स्थानीय संसाधन की पहचान करेगा।

भाग V– सिविल कार्यों के दौरान प्रभाव

प्रभाव की श्रेणी	9	ढ़ांचा / परिसंपत्ति / पेड़/फसलों पर प्रभाव
पात्रता	9.1	सिविल कार्य किए जाने के दौरान निजी / सार्वजनिक भूमि पर नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदार जवाबदेय होगा।
क्रियान्वयन दिशा निर्देश		पीआईयू इसकी अनुपालना सुनिश्चित करेगा।
प्रभाव की श्रेणी	10	निजी भूमि का उपयोग
पात्रता	10.1	ठेकेदारों को सिविल कार्यो के दौरान सामान भंडारण या वाहन और मशीनरी के चालन या यातायात मार्ग परिवर्तन हेतु भूमि उपयोग हेतु मालिकों से ठेकेदार को लिखित पूर्वानुमति लेनी चाहिये या तय किराया लिया जाना चाहिये।

भाग VI- साझा संपत्ति संसाधन

प्रभाव की श्रेणी	11	साझा संपत्ति संसाधन पर प्रभाव जैसे पूजास्थान, सामुदायिक भवन, स्कूल इत्यादि।
पात्रता	11.1	पुनःस्थापन या पुनरुत्थान अगर संभव है तो अथवा प्रतिस्थापन लागत पर नकद मुआवजा।
प्रभाव की श्रेणी	12	उपयोगी सेवाएँ जैसे जल एवं बिजली आपूर्ति
पात्रता	12.1	सिविल कार्य प्रारंभ करने से पहले सेवाएँ दूसरी जगह पुनर्स्थापित एवं बहाल की जाएगी।
क्रियान्वयन दिशा निर्देश		पीआईयू सुनिश्चित करेगा कि सिविल कार्य शुरू होने से पहले उपयोगी सेवाएँ स्थानांतरित हो सड़क के उस हिस्से मे सिविल कार्य अनुसूची के अनुसार ।

भाग VII- अप्रत्याशित प्रभाव

क्रियान्वयन के दौरान सामने आये अप्रत्याशित प्रभाव को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आर.एफ.सी.टी.एल.आर.आर 2013)विश्व बैंक सुरक्षा नियमावली के अनुसार संबोधित किया जाएगा।

राजस्थान भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 एवं विश्व बैंक सुरक्षा नीति के प्रावधानों के तहत् अनैच्छिक पुनर्वासन प्रकाशन

(Involuntary Resettlement Disclosures)

राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए

(परियोजना क्षेत्र में प्रभावित परिवार/व्यक्ति के वितरण हेतु सामग्री)

सौजन्य से:-
सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीपीपी प्रभाग, राजस्थान सरकार

द्वारा:-
पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एजेन्सी
सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्ट्डीज (सीडेक्स), जयपुर

प्रतिकर/मुआवजा पात्रता मैट्रिक्स (एंटाईटलमेंट मैट्रिक्स)

भाग ।– अधिकारधारक (टाईटल होल्डर) – निजी संपत्ति के नुकसान हेतु प्रतिकर/मुआवजा

प्रभाव की श्रेणी	क्र.सं. 1.	भूमि का नुकसान (कृषि घरेलू, व्यवसायिक व अन्य)
पात्रता	1.1	प्रतिस्थापन मूल्य पर भूमि लिए प्रतिकर/मुआवजा अथवा जहाँ सम्भव हो वहाँ भूमि के बदले भूमि।
क्रियान्वयन दिशा निर्देश		भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 व राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रवधानों के अनुसार अधिग्रहित किया जाएगा। भूमि के लिए प्रतिस्थापन लागत निम्न से अधिक होगी (i) विक्रय विलेख पंजीकरण हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 के अनुसार बाजार मूल्य, जहाँ जमीन स्थित है या (ii) निकटतम गाव या आसपास के क्षेत्र में स्थित इसी तरह की भूमि के लिए औसत बिक्री मूल्य, पिछले 3 वर्षों के विक्रय विलेखों के अधिकतम 50 प्रतिशत मूल्य तक निश्चित होगा। 3 पीपीपी या निजी कंपनियों के लिए भुगतान की गई सहमति राशी। साथ ही 100 प्रतिशत मुआवजा व 12 प्रतिशत ब्याज अधिसूचना की तारीख से। शहरी क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र की दूरी के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अपनाए गए गुणक कारक लागू किया जाएगा। धारा 94 के (1) के अनुसार भूमि, घर, कारखाना या अन्य भवन के पृथक्करण के मामले में, यदि मालिक चाहता है तो पूरी भूमि और या संरचना अधिग्रहित की जाएगी।
प्रभाव की श्रेणी	2.	संरचना का नुकसान (घर, दुकान, भवन अथवा भूमि से जुड़े अचल सम्पत्ति)
पात्रता	2.1	प्रतिस्थापन मूल्य पर मुआवजा
क्रियान्वयन दिशा निर्देश		ढ़ांचा एवं अन्य अचल सम्पत्ति का बाजार मूल्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी के उचित निर्धारत दर के अनुसार तत् दिनांकानुसार मूल्यह्रास के बिना निर्धारित किया जायेगा। साथ ही 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आंशिक रुप से प्रभावित ढ़ांचे के लिए प्रभावित व्यक्ति के पास विकल्प रहेगा कि अगर शेष रहा भाग अनुपयुक्त है तो सम्पूर्ण ढ़ांचे की क्षतिपूर्ति मांग कर सकेगा।

भाग ।। – पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वासन– भूमि मालिक एवं परिवारों दोनों के लिए जिनकी आजीविका मुख्य रुप से अधिग्रहित की गई भूमि पर आधारित है

प्रभाव की श्रेणी	3.	भूमि का नुकसान
पात्रता	3.1	परियोजना में प्रभावित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार या अन्य परियोजना में नौकरी की व्यवस्था करेगा। परियोजना में क्षेत्र वांछित उचित प्रशिक्षण और कौशल विकास करके काम दिलाना जो तत्समय व तत्कालीन विधि सम्मत दिए जाने वाली राशी दर न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं दी जायेगी। अथवा एकमुश्त भुगतान रुपये 5,00,000/– प्रति प्रभावित घर। अथवा वार्षिक पॉलिसी जो 2000 रुपये प्रतिमाह 20 वर्ष हेतु सीपीआईएल (Consumer price Index for Agricultural Labourers and Rural Labourers) के उचित सूचकांक के साथ होगी।
	3.2	ऐसे प्रभावित परिवार जिनको परियोजना के कारण पुनर्स्थापन अनिवार्य है को एक वर्ष के लिए प्रति माह 3,000 रुपये जीवन निर्वाह भत्ता।
	3.3	प्रभावित परिवार जिनको परियोजना के कारण पुनर्स्थापन अनिवार्य है उनके लिए 50,000 रुपये की परिवहन सहायता।
	3.4	25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता उन सबको जिनकी पशुशाला शेड को नुकसान पहुँचा है।
	3.5	एकमुश्त पुनर्स्थापन भत्ता 50,000 रुपये की उन प्रभावित परिवारों को जिन्हें विस्थापित होना पड़ा है।
	3,6	अतिरिक्त एक बार की सहायता 50,000 रुपये की उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित है और जिन्हें परियोजना के कारण विस्थापित होना पड़ा है।
प्रभाव की श्रेणी	4.	मकान / घर का नुकसान
पात्रता	4.1	उन लोगों के लिए एक वैकल्पिक आवास जिनका पुनर्स्थापन आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्दिरा आवास योजना मानक के अनुसार और शहरी क्षेत्र में 50 घनमीटर का निर्मित मकान अथवा विकल्प के रुप में मकान के बदले नकद (मकान के बदले नकद के तहत् ग्रामीण क्षेत्र में आईएवाय मानकानुसार रुपये 70,000/– और शहरी क्षेत्र में रुपये 1,5 लाख) ऐसे प्रभावितों को दिया जायेगा जिनके पास कोई मकान नहीं है और जो प्रभावित क्षेत्र में कम से कम लगातार 3 वर्षों से रह रहे हैं।
क्रियान्वयन दिशा निर्देश		आईएवाई निर्धारणानुसार ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों के लिए वैकल्पिक घर जिनका पुनर्स्थापन आवश्यक है एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग मीटर का निर्मित घर/फ्लैट अथवा विकल्प के रुप में घर के बदले नकद आईएवाय मानकानुसार ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 1,48,000/– और शहरी क्षेत्र में रुपये 1.5 लाख) दिया जायेगा। ऐसा कोई भी परिवार जो अधिसूचना जारी तारीख से पूर्व कम से कम 3 वर्षों से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं तथा जिन्हें अनिच्छापूर्वक पुनर्स्थापित किया जा रहा है को उपर वर्णित लाभ दिया जायेगा।
पात्रता	4.2	परियोजना में प्रभावित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार या अन्य परियोजना में नौकरी की व्यवस्था करेगा। परियोजना में क्षेत्र वांछित उचित प्रशिक्षण और कौशल विकास करके काम दिलाना जो तत्समय व तत्कालीन विधि सम्मत दिए जाने वाली राशी दर न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं दी जायेगी। अथवा एकमुश्त भुगतान रुपये 5,00,000/– प्रति प्रभावित घर। अथवा वार्षिक पॉलिसी जो 2000 रुपये प्रतिमाह 20 वर्ष हेतु सीपीआईएल (Consumer price Index for Agricultural Labourers and Rural Labourers) के उचित सूचकांक के साथ होगी।
	4.3	ऐसे प्रभावित परिवार जिनको परियोजना के कारण पुनर्स्थापन अनिवार्य है को एक वर्ष के लिए प्रति माह 3,000 रुपये जीवन निर्वाह भत्ता।
	4.4	प्रभावित परिवार जिनको परियोजना के कारण पुनर्स्थापन अनिवार्य है उनके लिए 50,000 रुपये की परिवहन सहायता।
	4.5	25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता उन सबको जिनकी पशुशाला शेड को नुकसान पहुँचा है।
	4.6	25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता ऐसे कामगार / स्वरोजगार परिवार को जिनको पुनर्स्थापित करना पड़ा हो।
	4.7	एकमुश्त पुनर्स्थापन भत्ता 50,000 रुपये की उन प्रभावित परिवारों को जो पुनर्स्थापित हुए हैं।
	4.8	अतिरिक्त एक बार की सहायता 50,000 रुपये की उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित है और जिन्हें परियोजना के कारण विस्थापित होना पड़ा है।
	4.9	प्रभावित अधिशेष सामान का अधिकार
प्रभाव की श्रेणी	5.	दुकान / व्यवसाय / व्यवसायिक ढ़ांचा का नुकसान
पात्रता	5.1	परियोजना में प्रभावित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार या अन्य परियोजना में नौकरी की व्यवस्था करेगा। परियोजना में क्षेत्र वांछित उचित प्रशिक्षण दिलाकर और कौशल विकास कर काम प्रदान करने का प्रबंधन जो तत्समय व तत्कालीन विधि सम्मत दिए जाने वाली राशि दर न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं दी जायेगी। अथवा एकमुश्त भुगतान रुपये 5,00,000/– प्रति प्रभावित घर। अथवा वार्षिक पॉलिसी जो 2000 रुपये प्रतिमाह 20 वर्ष हेतु सीपीआईएल (Consumer price Index for Agricultural Labourers and Rural Labourers) के उचित सूचकांक के साथ होगी।
	5.2	ऐसे प्रभावित परिवार जिनको परियोजना के कारण पुनर्स्थापन अनिवार्य है को एक वर्ष के लिए प्रति माह 3,000 रुपये जीवन निर्वाह भत्ता।
	5.3	प्रभावित परिवार जिनको परियोजना के कारण पुनर्स्थापन अनिवार्य है उनके लिए 50,000 रुपये की परिवहन सहायता।
	5.4	25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता उन सबको जिनकी पशुशाला शेड को नुकसान पहुँचा है।
	5.5	एकमुश्त पुनर्स्थापन भत्ता 50,000 रुपये की उन प्रभावित परिवारों को जो पुनर्स्थापित हुए हैं।
	5.6	अतिरिक्त एक बार की सहायता 50,000 रुपये की उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित है और जिन्हें परियोजना के कारण विस्थापित होना पड़ा है।
	5.7	प्रभावित अधिशेष सामान का अधिकार

भाग ।।।–अनाधिकृतवासियों और अतिक्रमियों पर प्रभाव–राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) में जहाँ कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया

प्रभाव की श्रेणी	6.	अनाधिकृवासियों पर प्रभाव
पात्रता	6.1	घर का नुकसान
	6.1.1	संरचना के लिए निर्धारित दर पर बिना मूल्यह्रास के मुआवजा साथ में प्रभावित संरचना को गिराने के लिए एक माह का नोटिस।
	6.1.2	प्रभावित सामग्री/अधिशेष सामान का अधिकार
	6.1.3	उन सब लोगों के लिए जिन्हें पुनर्स्थापन करना है जिनके पास कोई मकान नहीं है उनको 70,000 रुपये का घर निर्माण अनुदान। उन सब लोगों के लिए जिन्हें पुनर्स्थापना करना है तथा जिनके पास कोई मकान नहीं है उनको 50,000 रू. का अतिरिक्त अनुदान।
	6.1.4	एक बारीय निर्वाह भत्ता 18,000 रुपये।
	6.1.5	स्थान का बदलाव सहायता 10,000 रुपये।
क्रियान्वयन दिशा निर्देश		केवल वे सीधे प्रभावित अनाधिकृतवासी जो वहाँ रह रहे हैं सभी प्रकार की सहायता के पात्र होंगे। संरचना के मालिक जो सरकारी जमीन/राइट आफ वे में रहते नहीं हैं एवं किराए पर दे रखा है। उन्हें केवल ढांचे का मुआवजा मिलेगा एवं अन्य किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। अनाधिकृतवासी अन्य प्रकार के सहायता के पात्र होंगे।